न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2020(रसद) (GCMS 2021/00083)	19.02.2020	22.09.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

अशोक कुमार पुत्र नारायण लाल तेली निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 06.02.2020 को दोपहर 12.05 बजे जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ व खाद्य विभाग से प्राप्त शिकायत के आधार पर आदेशानुसार आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक, डूंगला शिकायत में वर्णित स्थल अशोक कुमार पुत्र नारायण लाल तेली का मकान जो तेली मौहल्ला, अरनिया रोड ग्राम डूंगला है पर पहुँची। मौके पर पहुँच कर ग्राहक की भूमिका में गाडी में गैस भरवाने हेतु पूछने पर पडौसी ने अशोक कुमार के घर की और ईशारा करते हुए बताया कि यहाँ गैर भरी जाती है। मौके पर अशोक कुमार की दुकान तेली मौहल्ला अरनिया रोडा डूंगला खुली पाई गई। उक्त दुकान का मुआयना करने के पश्चात् मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने पर यह दुकान अशोक कुमार की ही होना बताया गया व अशोक कुमार द्वारा उक्त दुकान में गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व अवैध गैस रिफिलिंग करना बताया गया। अशोक कुमार पुत्र नारायण लाल तेली मौके पर उपस्थित नहीं मिले। दूरभाष पर संपर्क कर बुलाने पर भी मौके पर नहीं आये। मौके पर गैस भण्डारण व रिफिलिंग के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर घरेलू गैस के 15 सिलेण्डर एवं कमर्शियल गैस सिलेण्डर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

व एक रिफिलिंग मशीन मय दो पाईप व दो नोजल लगे हुये पाये गये। मौके पर फर्द तलपटअ बनाकार मौतबिरान के समक्ष मैसर्स शीतल गैस एजेंसी मंगलवाड के प्रतिनिधि प्रकाश पुत्र किशन लाल को बुलाकर उनके कम्प्यूटराईज्ड कांटे से जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर व 1 कमर्शियल गैस सिलेण्डर को तोलकर मय एक रिफिलिंग मशीन दो नोजल व दो पाईप उक्त गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिये जाकर मौतबिरान के रूबरू हस्ताक्षर करवाये गये व निर्देशित भी किया गया कि उक्त गैस सिलेण्डरो का अपने स्टॉक में इन्द्राज कर अपने गोदाम में सुरक्षित रखेंगे तथा वक्त आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करेंगे। फर्द तलपटी फर्द मौके के साथ संलग्न है। अपनी दुकान में अवैध व्यापार करने वाले अशोक कुमार पुत्र नारायण लाल तेली को बार-बार बुलाने पर भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ न ही अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस व कमर्शियल गैस सिलेण्डर के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये न ही गैस रिफिलिंग से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। अतः एल.पी.जी. आदेश 2000 के उपाबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर इस आदेश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवेदक द्वारा अशोक कुमार पिता नारायण लाल तेली की दुकान से 15 घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेण्डर, 1 रिफिलिंग मशीन मय 2 पाईप व 2 नोजल कब्जे में लिये गये। उक्त सिलेण्डर्स का वजन फर्द जप्ती के साथ पृथक् से तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर 01 कमर्शियल गैस सिलेण्डर व 01 रिफिलिंग मशीन मय 2 पाईप व 2 नोजल के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 03.08.2021 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 22.09.2021 को पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 06.02.2020 को विपक्षी की दुकान पर जांच करने पर विपक्षी के दुकान में विपक्षी के कब्जे में 15 घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेण्डर, 1 रिफिलिंग मशीन मय 2 पाईप व 2 नोजल अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी की दुकान में विपक्षी के कब्जे में 15 घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेण्डर, 1 रिफिलिंग मशीन मय 2 पाईप व 2 नोजल अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 15 गैस सिलेण्डर व 1 कमर्शियल गैस सिलेण्डर (खाली) जिनमें भरी हुई कुल 106.9Kg. गैस, 1 रिफिलिंग मशीन मय 2 पाईप व 2 नोजल राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 06.02.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी अशोक कुमार पिता नारायण लाल जाति तेली निवासी तेली मौहल्ला अरनिया रोड डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ की दुकान से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 15 गैस सिलेण्डर व 1 कमर्शियल गैस सिलेण्डर (खाली) जिनमें भरी हुई कुल 106.9Kg. गैस, 1 रिफिलिंग मशीन मय 2 पाईप व 2 नोजल राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.09.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़